

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 119/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2013-14 दिनांक जनवरी, 2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास (अफोडेबुल) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री शशांक अग्रवाल, डायरेक्टर, संगम स्ट्रक्चरल लिमिटेड द्वारा बंगला नं0-19/18 स्टैनली रोड, नजूल फी होल्ड साइट नं0-125 (पार्ट) सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अन्तर्गत समूह आवास (अफोडेबुल हाउस) मानचित्र के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 28-12-2013 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 26 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचन, बाथरूम में अनिवार्य रूप से किया जाय।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष, जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
8. ग्रीन बेल्ट/पार्क के अन्तर्गत रिचार्ज/टैंक एक कोने में बनाना होगा।
9. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
10. शासनादेश संख्या-3338/8-1-11-8विधि/2010 के क्रम में E.W.S एवं L.I.G श्रेणी के 9-9 फ्लैट (कुल 18 फ्लैट) के फ्लैटों का निर्माण बहुमंजिले भवन निर्माण के साथ-साथ ही कराया जाना आवश्यक है।
11. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति 98 आवासीय इकाई (अफोडेबुल) तथा अनुमन्य की जा रही इकाईयों के सापेक्ष 9-9 EWS/LIG श्रेणी के फ्लैट के निर्माण हेतु है। अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण/आच्छादन निषिद्ध होगा।
12. पुलिस अधीक्षक-यातायात, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-आर/एसपीटी/एनओसी(15)/2013 दिनांक 11.11.2013 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

13. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-370/STCE/13 दिनांक 11.11.2013 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
14. जनकल विभाग (नगर निगम) इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-डी0/448/ज0क0वि0/जांचदल/013 दिनांक 25.10.2013 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
15. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2013/इला0/212/सि0ला0/103 दिनांक 08.10.2013 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
16. मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2987/मु0अ0(वि0)इ0क्ष0/पी-2(मानचित्र) दिनांक 11.12.2013 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
17. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।
18. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
19. उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न करने की दशा में दी गयी स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी।
20. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
21. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
22. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
23. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
24. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
25. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

02/11/14
(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद